



| आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1 | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2 | आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में दिप्पणी, तारीख सहित 3 |
|--------------------------------------|--|--|
| <p><u>12/1/18</u></p> | <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अपर समाहर्ता, लोक शिकायत निवारण-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक-06.10.2017 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के रिथति में परिवादी डॉ० प्रभाष कुमार सिंह, पिता-सच्चिदानन्द सिंह, ग्राम-चटमाबाजार, पोस्ट- चटमाडीह, अंचल-शंभुगंज, जिला-बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या-523110115051701470/2A वर्ष-2017 डॉ० प्रभाष कुमार सिंह बनाम् अंचल अधिकारी, शंभुगंज है।</p> <p>इस संबंध में अंचल अधिकारी, शंभुगंज से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अनुपालन में पत्रांक-794 दिनांक-28.12.17 एवं पत्रांक-29 दिनांक-12.01.18 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। सुनवाई तिथि को अपीलार्थी उपस्थित है। सुना गया।</p> <p>अपीलार्थी का परिवाद अतिक्रमण हटाने से संबंधित है। अंचल अधिकारी, शंभुगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमण वाद सं०-03/17-18 मौजा-चटमा, थाना नं०-05, खाता सं०-85, खेसरा सं०-89, रकवा- 0.17 डी० की वाद ग्रस्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, शंभुगंज के प्रतिवेदन के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p> जिला पदाधिकारी, बांका</p> <p> जिला पदाधिकारी -सह- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, जिला लोक शिकायत निवारण, बांका।</p> | |